भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का कार्यालय, पोड़ाहाट चक्रधरपुर।

नामान्तरण अपील वाद संख्या :– 03/2011–12

आदेश

आदेश की तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
5.7.18		

प्रस्तुत नामान्तरण अपील वाद अपीलार्थी डा0 अनवर अहमद, पिता मो0 नजमूल हक अंसारी, वार्ड नं0–13 बड़कंदाज टोली, चाईबासा, जिला–प0 सिंहभूम द्वारा विपक्षी (1) श्रीमती माजुन निशा, पति मो0 शफी (2) मो0 रफिक पिता मो0 शफी वार्ड नं0–9 चक्रधरपुर, पो0+थाना चक्रधरपुर के विरूद्ध दिनांक 03.08.2011 को अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के द्वारा नामान्तरण वाद सं0–466/2010–11 दिनांक 10.02.2011 द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। तत्पश्चात् इस न्यायालय में अपीलार्थी के आवेदन पत्र को स्वीकृत करते हुए नामान्तरण अपील वाद संख्या 03/2011–12 प्रारम्भ किया गया। भूमि का विवरणी निम्नवत् है :–

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
नगरपालिका चक्रधरपुर वार्ड नं0–10	–	65	3 a	01 डि0 215 वर्गकड़ी

संक्षिप्त इतिहास निम्नवत् है :– निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक चक्रधरपुर द्वारा अपने प्रतिवेदन में उक्त भूमि को लीज भूमि बताया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी चक्रधरपुर द्वारा नामान्तरण वाद को अस्वीकृत किया गया। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा हालसर्वे खतियान की छायाप्रति समर्पित किया गया है। खतियान के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि खतियान में मजरूल हक पिता मो0 यासिम के नाम दर्ज है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा स्पष्ट किया गया है कि पंजी–II के पृष्ठ सं0 229 में विक्रेता (1) श्रीमती माजुन निशा पति मो0 शफी (2) मो0 रफिक पिता मो0 शफी के नाम पर दर्ज है एवं विक्रेता स्वयं जमाबंदी रैयत है । उक्त भूमि पर आवेदक का दखल कब्जा है। अपीलार्थी डा0 अनवर अहमद, पिता मो0 नजमूल हक अंसारी, वार्ड नं0–13 बड़कंदाज टोली, चाईबासा, जिला–प0 सिंहभूम द्वारा जमाबंदी रैयत (1) श्रीमती माजुन निशा पति मो0 शफी (2) मो0 रफिक पिता मो0 शफी से क्रय किया गया है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा उक्त भूमि को लीज भूमि बताकर नामान्तरण वाद अस्वीकृत करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्य एवं उपलब्ध कागजात पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरांत मेरा यह मत होता है कि अपीलार्थी डा0 अनवर अहमद, पिता मो0 नजमूल हक अंसारी, वार्ड नं0–13 बड़कंदाज टोली, चाईबासा, जिला–प0 सिंहभूम का अपील का आधार वैधानिक रूप से सशक्त है।

अतः अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के नामान्तरण वाद सं0–466/2010–11 दिनांक 10.02.2011 में पारित आदेश को निरस्त किया जाता है एवं अपीलार्थी डा0 अनवर अहमद, पिता मो0 नजमूल हक अंसारी, वार्ड नं0–13 बड़कंदाज टोली, चाईबासा, जिला–प0 सिंहभूम के पक्ष में नामान्तरण **स्वीकृत** किया जाता है।

आदेश की प्रति पक्षकारों एवं अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को उपलब्ध करावें । आदेश को Online करें ।

लेखापित

5.7.18

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
पोड़ाहाट चक्रधरपुर

5.7.18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
पोड़ाहाट चक्रधरपुर ।